

भाग-III

(वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए)

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।	नहीं
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	जनहित के दृष्टिकोण संरक्षक की जानी है।

दिनांक:- 03-07-2022

स्थान

लखीमपुर खीरी

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

✍

(बिजय कुमार)

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी